

31-10-17

डिक्रीधारी अनु०। डिक्रीधारी की ओर से कोई अधिवक्ता भी उप० नहीं।

मदयून अनु०। मदयून की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं के न्यायालय कक्ष के बाहर बार बार पुकार लगवाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ।

डिक्रीधारी एवं उनके अधिवक्ता श्री एम०एस०यादव की न्यायालय कक्ष से बाहर बार बार पुकार लगवाई गयी परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ।

यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण आज कब्जा वारण्ट रिपोर्ट हेतु नियत है।

प्रस्तुत प्रकरण में डिक्रीधारी द्वारा दिनांक 25.10.13 से तलबाना पेश न किए जाने के कारण प्रकरण में दिनांक 25.10.13 से कब्जा वारण्ट जारी नहीं किया जा सका है।

पूर्व पेशी पर डिक्रीधारी को आवश्यक रूप से दो दिवस के अंदर तलबाना एवं फर्द सूची पेश करने के लिए निर्देशित किया गया था परन्तु डिक्रीधारी द्वारा तलबाना एवं फर्द सूची पेश न किए जाने के कारण प्रकरण में कब्जा वारण्ट जारी नहीं किया जा सका है। आज दिनांक को न तो डिक्रीधारी न्यायालय में उपस्थित है और ना ही उसके पक्ष समर्थन हेतु कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ है ऐसा प्रतीत होता है कि डिक्रीधारी उक्त इजरा प्रकरण को चलाने का इच्छुक नहीं है।

अतः प्रस्तुत इजरा कार्यवाही डिक्रीधारी की अनुपस्थिति में एवं तलबाने के अभाव में निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर पत्रावली अभिलेखागार भेजी जावे।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

ए.सी.जे.—1 गोहद

सामान्य जानकारी
(शासकीय / विधिक उप)